कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थी तहसीलदार सलूम्बर | **विपक्षी** श्री हमेरसिंह व अन्य

किस्म धारा–177 रा.का.अ. | **प्रकरण संख्या** 19/2019

	कार्यवाही विवरण (जी.सी.एम.एस. नम्बर–2019/00666)	
23–12–2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। साक्ष्य वादी हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने से साक्ष्य वादी बन्द की गई। तद्पश्चात विपक्षीगण ने साक्ष्य पेश नही करना जाहिर करते हुए पत्रावली मे बहस सुने जाने का निवेदन किया। पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मौजा सराडी पटवार मण्डल सराडी तहसील सलुम्बर आराजी नम्बर 1701 रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारान द्वारा अवैध बजरी के स्टोक कर उसे अन्यत्र ले जाया जा रहा है जिससे संपूर्ण कृषि भूमि बंजर हो गई है एवं मिटटी का उपजाउपन समाप्त हो गया है। तथा वर्तमान मे खातेदार नियमित रूप से उक्त भूमि में बजरी के स्टोक कर रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत विपक्षीगण के कृत्य को अवैधानिक करा खातेदारी अधिकार निरस्त करा बेदखली एवं भारी जुर्माने से दण्डित कराने का आदेश फरमावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया की उक्त प्रकरण मे विपक्षीगण ने केवल मात्र बॉउण्ड्रीवॉल बनाने हेतु थोडी रेती लाया था। उसके अलावा न तो मैने कभी कोई रेती का भण्डारण किया है न ही भविष्य मे करूंगा। विपक्षीगण उक्त आराजीयात पर नियमित कृषि कार्य करते आ रहे हैं एवं इनके द्वारा न ही कभी बजरी का खनन किया गया है न ही कोई बजरी का स्टॉक किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी का जवाब रिकॉर्ड पर लेकर वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त फरमाया जावे। प्रकरण मे तहसीलदार सलूम्बर से मौका रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट दिनांक 28–09–2022 एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 अनुसार वादग्रस्त आराजीयात की भूमि पर किसी प्रकार का बजरी भण्डारण अथवा अकृषि कार्य नही होना पाया गया है। बहस मनन की गई। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात मौका रिपोर्ट दिनांक 28–09–2022 एवं दिनांक 20.05.2025 का अवलोकन किया गया। वर्तमान मे वादग्रस्त आराजीयात की भूमि पर किसी प्रकार का बजरी भण्डारण अथवा अकृषि कार्य नही होना पाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा.का.अ. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 23–12–2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (जगदीश चन्द्र बामनिया RAS) उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर सलूम्बर सलूम्बर जिला सलूम्बर	

सहायक कलक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)